



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/ATY-461/JH/27/2022-APCR

Dated: 28.03.2023

To,

श्री मनोज कुमार अगरिया,
पुत्र- श्री देवनदन अगारिया
ग्राम घुटुवा, पोस्ट नया नगर बरकाकाना
जिला रामगढ़, झारखंड 829103
फ़ोन. : 9973295200

विषय: अनुसूचित जनजाति (PVTG) महिला एवं उसके परिवार के साथ जातिगत गाली गलोच, मारपीट एवं ठगी करने के विरुद्ध में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्यवाही नहीं करने के बारे में श्री मनोज कुमार अगरिया, ग्राम घुटुवा, पोस्ट नया नगर बरकाकाना, जिला रामगढ़, झारखंड का अभ्यावेदन

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **13.04.2023 समय 12:00 Noon** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सभागार, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हो।

(अंकित कुमार सेन / Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer